

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

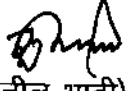
क्रमांक प.2(7608)/डीओआईटी/संस्था/19/00481/2019 जयपुर, दिनांक 08.02.2019

कार्यालय आदेश

राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के सूचना सहायक के पद पर कार्यरत श्री बद्री प्रसाद बलाई, सूचना सहायक जिन्होंने दिनांक 01.01.2016 के पश्चात अपने पद पर दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि निरन्तर संतोषजनक पूर्ण कर ली है। वित्त (नियम अनुभाग) के नोटिफिकेशन प.15(1) वित्त (नियम)/ 2017 दिनांक 09.12.2017 के अनुसरण में श्री बद्री प्रसाद बलाई, सूचना सहायक का कॉलम सं. 7 में उल्लेखित दिनांक से पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 17 के अनुसार सूचना सहायक पद की नियमित वेतन श्रेखला पी.बी 1 (5200-20200) की ग्रेड पे-2800 (ग्रेड पे सं.-10) का शिड्यूल-1 (Part-B) की Pay Matrix के अन्तर्गत L-8 लेवल का न्यूनतम (First cell) की राशि रुपये 26300/- एवं नियमानुसार भत्ते आहरित/वितरित करने की एतद् द्वारा स्वीकृति के आदेश जारी किये जाते हैं:-

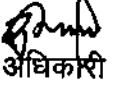
क्र. सं.	मेरिट न.	कर्मचारी का नाम	पदस्थापन विभाग	प्रथम कार्यग्रहण दिनांक	परिवीक्षाधीन अवधि (दो वर्ष) पूर्ण होने की दिनांक	निर्धारित वेतनमान में उक्तानुसार निर्धारित वेतन के आधार पर वेतन आहरण किये जाने की दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1	W-2193	श्री बद्री प्रसाद बलाई, सूचना सहायक	कार्यालय सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सीकर।	21-10-2016	20-10-2018	21-10-2018

श्री बद्री प्रसाद बलाई, सूचना सहायक का वेतन आहरण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष के द्वारा वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों के तहत किया जावेगा एवं स्थाईकरण के आदेश एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि का इन्द्राज नियमानुसार उक्त कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में किया जाना सुनिश्चित किया जावे। पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 13 के अनुसार उक्त सूचना सहायक की आगामी वेतन वृद्धि की दिनांक 01.07.2019 होगी।


(सुनील भाटी)
प्रभारी अधिकारी (संस्थापन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. तहसीलदार, कार्यालय सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सीकर।
2. श्री बद्री प्रसाद बलाई, सूचना सहायक, कार्यालय सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सीकर।
3. प्रभारी अधिकारी वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु।
4. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


प्रभारी अधिकारी (संस्थापन)